न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00317 (193/2018) 225 आरटीएक्ट

प्रभुसिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी गांव सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

सुल्तान सिह पुत्र चन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी गांव सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण

संख्या 19/2016 बअनवानी सुल्तान सिह बनाम प्रभुसिंह आदि

श्री विजय कोशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः—11.07.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 प्रार्थी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय प्रस्तुत कर ग्राम 2 केआरपी के खाता संख्या 40/47 के मु. नं. 11 के किला नं. 8 व 9 में से 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा, जो विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर रास्ता में गई भूमि के ऐवज में अप्रार्थी की कृषि भूमि के चिपती हुई प्रार्थी की कृषि भूमि कम की जाकर रास्ता में गये भूमि के समान कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं और रास्ते का अंकन रिकार्ड में किये जाने के आदेश दिये हैं जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गइ।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने मु. नं. 11 के किला नं. 8 व 9 में से रास्ता स्वीकृत किया है परन्तु 8 व 9 के किस दिशा में रास्ता स्वीकृत किया है उल्लेख नहीं किया। जो रास्ता स्वीकृत किया है वह किसी स्वीकृत शुदा रास्ते से नहीं मिलता। इसी मु. के किला नं. 22, 23, 24 जो कि रेस्पोडेण्ट के भतीजे के हैं में से होकर रेस्पोडेण्ट अपनी कृषि भूमि में आता है जो पत्थर लाईन पर भी है। इसलिए वहीं से ही रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रास्ता किला नं. 22, 23, 24 में से उपलब्ध होने के कारण उसकी रिपोर्ट तहसीलदार से ली जानी चाहए थी जो नहीं ली गई। अपीलाधीन निर्णय से जो रास्ता स्वीकृत किया है उससे अपीलाण्ट की भूमि दो भागों में विभक्त होती है। अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में भी प्राप्त नहीं की। अपने कथनों के समर्थन में 2016—17 आरआरटी पेज 597 व 677, 2019 आरआरटी पेज 403 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता पूर्व से उपलब्ध नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय से जो रास्ता स्वीकृत किया है वह विधि सम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते के संबंध में भू–अभिलेख निरिक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की है। जिसमें स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट को अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। मु. नं. 11 के किला नं. 7, 8, 9 में से रास्ता चल रहा है और किला नं. 7 में कदीमी रास्ता है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं। जहां से विचारण न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत किया है उस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेण्ट को उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानानुसार पारित किया होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया। अपने कथनों के समर्थन में 2017 आरबीजे पेज 24 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से मु. नं. 11 के किला नं. 8 व 9 में से रास्ता स्वीकृत किया है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा में किला नं. 7 के पूर्वी साईड उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत शुदा होना अंकित किया है। उस रास्ते से अपीलाधीन निर्णय से स्वीकृत किया रास्ता का मिलान नहीं होता है। तहसीलदार की रिपोर्ट में किला नं. 7 में रास्ता है मगर वह पूर्वी तरफ है जबकि किला नं. 7 के पश्चिम की तरफ किला नं. 8 व 9 में रास्ता स्वीकृत किया गया है। हालांकि मौके पर किला नं. 7 के पश्चिमी तरफ रास्ता चलना तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित किया है। यदि मौके पर पश्चिमी तरफ रास्ता चल रहा है तो उसकी दुरुस्ती किये बिना विवादग्रस्त रास्ते की स्वीकृति उचित नहीं है। इससे पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है उसके बारे में भी कोई विचार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उपरोक्त विवरण में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों का परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण करे।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों का परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official